न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.11 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 17)	30.01.2024	12.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

छीतर आ. कल्याण जाति हरिजन,
निवासी ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया, तह. के.पाटन
हाल तहसील रायथल, जिला बूंदी (राज.)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 937 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोली खुर्द आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

अति.जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 11 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024 / 17 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 778 दिनांक 12.03.24 के अनुसार आवंटी के वारिसान के वर्तमान निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि छीतर वल्द कल्याण जाति हरिजन निवासी गेण्डोलीखुर्द को दिनांक 10.11.1975 को भूमि ख.सं. 937 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया की नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा सं. 217, 218, 295, 296, 299, 300, 310 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार भूमि खसरा सं. 217, 218, 295, 296, 299, 300, 310 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 के अनुसार भी उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटी के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु उसके वारिसान के संबंध में तहसीलदार रायथल से सूचना चाही गई। तहसीलदार रायथल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.3.24 के संलग्न आई.एल.आर. एवं हल्का पटवारी, गूंथा की मजमेआम रूबरू गवाहन तैयार की गई रिपोर्ट से प्रकट होता है कि आवंटी या उसके वारिसान उक्त ग्राम में निवास नहीं कर अन्यत्र चले गये है जिनके वर्तमान निवास की ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आवंटी के वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाना तथा उनको नोटिस तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के दर्ज गैर खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवंटी एवं उसके वारिसान के वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया में निवास नहीं करने तथा उनके बारे में ग्रामवासियों को कोई जानकारी नहीं होने से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी तथा उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी छीतर वल्द कल्याण जाति हरिजन निवासी गेण्डोलीखुर्द को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 937 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा (हाल ख.सं. 217, 218, 295, 296, 299, 300, 310 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर) वाकेग्राम गेण्डोलीखुर्द की झौपडिया दिनांक 10.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रायथल को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)